



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 30.12.2022

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 341/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों की रोकथाम एवं गैंगस्टर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 341/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-इरफान पुत्र सलमूद्दीन निवासी अशरफाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त इरफान का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 174/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना रमाला बागपत ।

2-मु0अ0सं0 35/15 धारा 3/5/8 गोवध निवारण व 11 डी पशु क्रूरता अधि0 व धारा 506 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।

3- मु0अ0सं0 341/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना रमाला बागपत ।

4- मु0अ0सं0 1163/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बडौत बागपत ।

5- मु0अ0सं0 161/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बडौत बागपत ।

6- मु0अ0सं0 40/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दोघट बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना रमाला ।

2-का0 180 संजू कुमार थाना रमाला ।

3- का0 1104 चक्रपाल सिंह थाना रमाला ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा

दिनाँक 30.12.2022

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-हरेन्द्र उर्फ झब्बर पुत्र इन्द्रजीत निवासी नंगलाबढी थाना खेकडा जनपद बागपत।

2-वेदपाल उर्फ वेदू पुत्र तेजपाल निवासी डगरपुर थाना खेकडा जिला बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री प्रियवृत्त आर्य थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री प्रियवृत्त आर्य थाना खेकडा जनपद बागपत

3-है0का0 295 नरेन्द्र गौड थाना खेकडा जनपद बागपत ।

4-का0 427 अरुण भाटी थाना खेकडा जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 30.12.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 302/22 धारा 420/406/506
भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.04.22 को थाना बडौत पर वादी श्री शिव कुमार पुत्र श्री प्रकाशचन्द निवासी ग्राम निरोजपुर थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.मनीष पुत्र आदेश निवासी ग्राम खड्डा प्रहलाद पुर थाना चाँदीनगर, 2.ऋषि पुत्र भागमाल निवासी भडला थाना मुन्डाली जनपद मेरठ, 4.सेवाराम, 5.सत्यपाल व एक महिला द्वारा वादी व वादी के भतीजे अंकित कुमार से फर्जी जमीन दिखाकर 07 लाख रुपये ले लिये और मांगने पर नहीं दिये तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 302/22 धारा 420/406/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 302/22 धारा 420/406/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधित कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मनीष पुत्र आदेश निवासी ग्राम खड्डा प्रहलादपुर थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 179 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 30.12.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

सुरेश उर्फ बुढ्ढा पुत्र गोपीचन्द निवासी ग्राम नयागांव हमीदाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 2-का0 479 कुलदीप थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 3-है0का0 अनिल नागर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 30.12.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1144/22 धारा 395/342/412/120बी भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22-12-2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी प्रेम कुमार पुत्र सत्यनारायण निवासी ग्राम कछरा थाना बेला पटरी जनपद मधुबनी, बिहार ने सूचना दी कि दिनांक 20/21.12.22 की रात्रि को ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर अज्ञात बदमाशों द्वारा अधिक कोहरे का फायदा उठाकर उसके चावलो से भरे ट्रक को हाथ के इशारे से रोककर उसको बंधक बनाकर ट्रक को लूट लिया । इस संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 1144/22 धारा 392/342/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।



उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 392/506 भादवि का विलोपन कर धारा 395/412/120बी भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं लूटेरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1144/22 धारा 395/342/412/120बी भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड दिनांक 28-12-2022 को 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा लूट के चावल व आयसर केंटर बरामद किया जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इसरार पुत्र शेर मौहम्मद निवासी ग्राम सिरौली बांगर थाना रबुपुरा जनपद गोतमबुद्धनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्य संजय कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

2-है0का0 478 मनोज कुमार ताना कोतवाली बागपत ।

3-का0 60 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 30.12.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 50 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 50 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दिलशाद पुत्र जहीर निवासी मौ0 मुगलपुरा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 50 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद शर्मा कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-है0का0 432 अनिल नागर थाना कोतवाली बापत जनपद बगपत ।

3-का0 479 कुलदीप कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 30.12.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुनिल पुत्र अशोक निवासी ग्राम सरूरपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-है0का0 110 तहसीन खाँ थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-का0 981 अंकित कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 30-12-2022

थाना बडौत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-बबलू पुत्र रामफल निवासी ग्राम खेडा इस्लामपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-दीपू पुत्र बबलू निवासी ग्राम खेडा इस्लामपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-का0 262 कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 257 बलजीत सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक -30.12.22

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1185/22 धारा
147/148/323/352/307/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

|

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.12.2022 को थाना बडौत पर वादी श्री देवेन्द्र कुमार मलकपुर सुगर मिल ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.अशोक कुमार पुत्र महिपाल, 2.सोबीर पुत्र रामकुमार, 3. चैनपाल पुत्र पिरथी, 4. विनित उर्फ मोनू पुत्र चैनपाल, 5.वेदांश पुत्र सतवीर, 6.अशोक कुमार पुत्र सहाबसिंह, 7.बलराम पुत्र महकसिंह, 8.सुनील कुमार पुत्र महिपाल सिंह निवासीगण ग्राम लोयन थाना बडौत व 9.सुधीर कुमार पुत्र



कृष्णपाल निवासी सिनौली थाना छपरौली व 10.रितेष पुत्र ओमपाल सिंह निवासी बरवाला द्वारा एक राय होकर वादी व मिल कर्मचारियों के साथ गाली-गलौच करते हुए धारदार हथियारों से लेस होकर जान से मारने की नीयत से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0असं0 1185/22 धारा 147/148/323/352/307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1185/22 धारा 147/148/323/352/307/504/506 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना बडौत पुलिस द्वारा दिनांक 29.12.22 को 02 अभियुक्तगण 1.सुनील व 2.विनित उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रितेष पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत ।

हाल पता आवास विकास कालौनी बडौत थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना बडौत ।

2-का0 166 कुलदीप देशवाल थाना बडौत ।

3-का0 403 नितिन त्यागी थाना बडौत ।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनाँक 30.12.22

**थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 365/22 धारा 452/323/307/504/506
भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01
जिंदा कारतूस बरामद ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 24.12.22 को थाना छपरौली पर वादी देवेन्द्र पुत्र गजराज निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली ने सूचना दी की अभियुक्त सुखदेव पुत्र कामराज निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली ने वादी व वादी के परिजनो के साथ घेर में घुसकर गाली-गलौच करते हुए मारपीट की व जान से मारने की नीयत से हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 365/22 धारा 452/323/307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 365/22 धारा 452/323/307/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना छपरौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुखदेव पुत्र कामराज निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री ब्रजेश पुनिया थाना छपरौली ।

2-है०का० 351 पवन नागर थाना छपरौली ।

3-है०का० 353 नरेश थाना छपरौली ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 30.12.2022

थाना दोघट पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

बल्ला उर्फ शिवकुमार पुत्र कृष्णपाल निवासी पट्टी कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।



एवं

वारंटी
विधिक

रतराना

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री मौ० अब्बास नकवी थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-है०का० 300 रामवीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना रमाला

दिनांक 30.12.2022

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 341/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों की रोकथाम एवं गैंगस्टर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 341/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-इरफान पुत्र सलमूद्दीन निवासी अशरफाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त इरफान का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 174/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना रमाला बागपत ।

2-मु0अ0सं0 35/15 धारा 3/5/8 गोवध निवारण व 11 डी पशु क्रूरता अधि0 व धारा 506 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।

3- मु0अ0सं0 341/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना रमाला बागपत ।

4- मु0अ0सं0 1163/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बडौत बागपत ।

5- मु0अ0सं0 161/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बडौत बागपत ।

6- मु0अ0सं0 40/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दोघट बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना रमाला ।

2-का0 180 संजू कुमार थाना रमाला ।

3- का0 1104 चक्रपाल सिंह थाना रमाला ।